

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 969/2024

अनवान

- 1- जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 2- ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।

— वादीगण

बनाम

- 1- लिछमण पुत्र घेरूराम जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2- चैना देवी पुत्री नारायणी जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3- देवव्रत पुत्र जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मधु स्वामी पत्नी जयवीर जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- विमला पत्नी रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 5- लीला पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 6- धर्मा पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 7- शारदा पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 8- बलवन्ती पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 9- भतेरी पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 10- सुभाष पुत्र नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 11- हरिराम पुत्र नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 12- सोहनलाल पुत्र घेरू जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 13- जयवीर पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- रविना पुत्री जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मधु स्वामी पत्नी जयवीर जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 15- सन्तोष पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 16- रूकमा पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 17- सनिता पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 18- बृजा पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 19- मोहरा पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 20- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 969 सन 2024 निर्णय दिनांक

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदार अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 17/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की दादा लाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल लक्ष्मी 15.2380 है 0 भूमि में से 76227/152380 हिस्सा भूमि मृतका निरमा पत्नी घेरू के नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2078 के खाता संख्या 29/30

अपखण्ड अधिकारी
नोहर

के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि व खाता संख्या व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो कि वादीगण की माता व बहिने है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 ता 11 जो कि वादीगण की मृतक बुआ नारायण के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी बहिन प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 18 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पौत्र/भतीजे/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 18 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.2380 है0 भूमि में से मृतक निरमा पत्नी घेरू के नाम दर्ज 76227/152380 हिस्सा भूमि में से 4/15 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है व 4/15 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 4/15 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-2078 के खाता संख्या 29/30 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि में से 803/8232 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो सोहनलाल पुत्र घेरू के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 19 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 19 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 20 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा लाखासर सम्वत 2075-78 खाता सं0 139/137, जमाबंदी रोही मौजा चैनपुरा सम्वत 2077-80 खाता सं0 29/30 व खाता

स0 203/40, मृत्यु प्रमाण पत्र रामेश्वर दास, निराणी व नरमा तथा सदस्य प्रमाण पत्र निराणी, निरमा व रामेश्वर दास आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 ता 6 जो कि वादीगण की माता व बहिने है उपरौक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपनी माता व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 ता 11 जो कि वादीगण की मृतक बुआ नारायण के वारिस है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपनी बहिन प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादी संख्या 12 ता 18 उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पौत्र/भतीजे/भाई के पक्ष में परित्याग कर चुके है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 4 ता 18 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.2380 है0 भूमि में से मृतक निरमा पत्नी घेरु के नाम दर्ज 76227/152380 हिस्सा भूमि में से 4/15 हिस्सा भूमि पर वादीगण ब0 हि0 ब0 काबिज है व 4/15 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 4/15 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1/5 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है तथा रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2078 के खाता संख्या 29/30 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि में से 803/8232 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि जो सोहनलाल पुत्र घेरु के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।


हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.2380 है0 भूमि में से 76227/152380 हिस्सा भूमि मृतका निरमा पत्नी घेरु के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है व रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2078 के खाता

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

संख्या 29/30 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि व खाता संख्या व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा उभयपक्ष ने भी उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना जाहिर किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार निरमा पत्नी घेरूराम के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 19 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.2380 है0 भूमि में से 76227/152380 हिस्सा भूमि में मृतका निरमा पत्नी घेरु का नाम कलमजन किया जाकर 4/15 हिस्सा भूमि का वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/15 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/15 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2078 के खाता संख्या 29/30 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि में से 803/8232 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में सोहनलाल पुत्र घेरु का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 969/2024

अनवान

- 1- जगदीश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 2- ओम प्रकाश पुत्र रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।

— वादीगण

बनाम

- 1- लिछमण पुत्र घेरुराम जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 2- चैना देवी पुत्री नारायणी जाति स्वामी निवासी जोरावरपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
- 3- देवव्रत पुत्र जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मधु स्वामी पत्नी जयवीर जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 4- विमला पत्नी रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 5- लीला पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 6- धर्मा पुत्री रामेश्वर जाति स्वामी निवासी केमरी जिला हिसार (हरियाणा)।
- 7- शारदा पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 8- बलवन्ती पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 9- भतेरी पुत्री नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 10- सुभाष पुत्र नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 11- हरिराम पुत्र नारायणी पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर।
- 12- सोहनलाल पुत्र घेरु जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 13- जयवीर पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 14- रविना पुत्री जयवीर नाबालिग जरिये कुदरती बली माता मधु स्वामी पत्नी जयवीर जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 15- सन्तोष पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 16- रुकमा पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 17- सनिता पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 18- बृजा पुत्री सोहनलाल जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 19- मोहरा पुत्री निरमा जाति स्वामी निवासी चैनपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
- 20- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 969 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/10/2024


आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज परोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा लाखासर तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 139/137 के कुल खसरे 4 की कुल तादादी 15.2380 है0 भूमि में से 76227/152380 हिस्सा भूमि में मृतका निरमा पत्नी घेरु का नाम कलमजन किया जाकर 4/15 हिस्सा भूमि का वादीगण को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/15 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 1

21

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 4/15 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1/5 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा चैनपुरा तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2077-2078 के खाता संख्या 29/30 के कुल खसरे 6 की कुल तादादी 8.2320 है0 भूमि में से 803/8232 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 203/40 के कुल खसरे 10 की 8.2300 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में सोहनलाल पुत्र घेरू का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर